भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 169*

(03 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गरीब हितैषी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम

***169. श्री नलीन कुमार कटीलः**

श्रीमती सुमलता अम्बरीशः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गरीब हितैषी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिये तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है;
(ख) यदि हां, तो बेहतर बनाये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार सामाजिक कार्यक्रमों के सेवा परिदान को बेहतर बनाने हेतु कोई प्रभावी उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने लोगों के लाभ के लिये गरीब हितैषी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र बनाया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 03.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग 'क' से 'ख' के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबों के कल्याण के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) नामक विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बहुआयामी गरीबी का उन्मूलन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाना है। उपर्युक्त के अलावा सरकार विभिन्न अन्य मंत्रालयों के माध्यम से भी प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उजाला योजना, प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि नामक विभिन्न गरीब समर्थक योजनाएं चला रही है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रभावी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के विभिन्न कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनके कौशलों का उन्नयन किया जाता है, पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, समुदाय के साथ संपर्क, सामाजिक लेखापरीक्षा और लाभार्थियों के साथ संपर्क पर जोर दिया जाता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए किया जाता है। 41 फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यंत मजबूत व्यवस्था स्थापित की है, जिससे एकल प्लेटफॉर्म **दिशा** पर तात्कालिक आधार पर योजनाओं के समन्वयन और निगरानी के लिए सभी माननीय संसद सदस्यों को सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक, सामान्य समीक्षा मिशन, तीसरे पक्ष से मूल्यांकन, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं इत्यादि जैसे विभिन्न स्तरों पर की जाती है। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में अंतरण आधारित ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणालियां (एमआईएस), जैसे कि मनरेगा योजना के लिए नरेगा सॉफ्ट, पीएमजीएसवाई

के लिए ओएमएमएएस, पीएमएवाई-जी के लिए आवाससॉफ्ट और ग्राम संवाद, जन मनरेगा, आवास, कौशल पंजी जैसे नागरिक केन्द्रित मोबाइल ऐप, साक्ष्य आधारित लाभार्थी चयन और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सहित सार्वजनिक प्रदायगी प्रणाली की निगरानी शामिल है।

*****